न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/244/2013	11.09.2013	10.03.2022

बउनवान

1–रामसहाय पुत्र ग्यासी जाटव(मृतक)

1/1 मन्नीदेवी आयु 70 वर्ष पत्नी स्व० श्री रामसहाय

1/2 शंकरलाल आयु करीब 40 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामसहाय

1/3 प्रेमचन्द आयु करीब 38 वर्ष पुत्र स्व० श्री रामसहाय जाति समस्त जाटव निवासीयान ग्राम खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज0

2–किशनलाल पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनूराम आयु 47 वर्ष जाति जाटव

3–लालचन्द पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनूराम आयु 44 वर्ष जाति जाटव

4– कैलाश चन्द पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनूराम आयु 40 वर्ष जाति जाटव निवासीयान ग्राम खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज0 ––वादीगण

बनाम

1–नानक चन्द पुत्र घनश्याम जाति खत्री निवासी खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज0

2–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: निर्णय :

वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी बन्दोबस्त सम्वत् 2051 ख.नं. 237 रकबा 29 ऐयर साबिक ख.नं. 195 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त सम्वत् 2020 के हाल ख.नं. 195 रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा साबिक ख.नं. 155 मी. रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर में स्थित है। वर्तमान ख.नं. 237 रकबा 29 ऐयर पर वादीगण का मौके पर कब्जा है। और कार्य काश्त वादीगण कंर रहे हैं। सम्वत् 2018 से विवादित आराजी पर वादीगण का बुजुर्ग ग्यासी काश्त करता था उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके जायज वारिस उसका पुत्र वादी सं. 1 रामसहाय 1/2 हिस्सा व सोहनलाल उर्फ सोनूराम 1/2 हिस्से पर काश्त करता रहा है चूँकि ग्यासी के पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनूराम के 1/2 हिस्से आराजी पर उसके जायज वारिस उसके पुत्र वादी सं. 2 ला. 4 का कब्जा है और लगान अदा करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता व दादा ने विवादित आराजी पर सम्वत् 2018 से काश्त करने के कारण बन्दोबस्त सम्वत् 2020 के साबिक

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

खसरा नं. 155 मीन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 21.05.1962 पंजीबद्ध दिनांक 04.06.1962 उप पंजीयक अलवर के अन्य खसरा नम्बर के साथ 800/– रुपया में प्रतिवादी सं. 1 से खरीद किया था और समस्त राशि अदा करने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 से कब्जा प्राप्त किया लेकिन डीड राईटर की गलती से सहवन से विक्रय पत्र में ख.नं. 155 मीन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर ख नं. 174 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खुदनपुरी अंकित हो गया जबकि ग्यासी ने ख.नं. 155 मीन खरीद किया था 174 नहीं खरीदा था। ग्यासी को प्रतिवादी सं. 1 ने कब्जा भी 155 मीन पर दिया था और इसी पर ग्यासी का कब्जा पहले भी था।विवादित आराजी प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी खातेदारी की आराजी बताते हुए वादीगण के बजुर्ग को विक्रय किया था। वादीगण को पटवारी हल्का से कृषि क्रेडिट कार्ड बैंक से बनवाने के लिए रहन रखने के लिए वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2064 की नकल दिनांक 27.10.2010 व 08.11.2010 लेने पर यह जानकारी हुई थी। कि विवादित आराजी आज भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी व कस्टोडियन में होना दर्ज है जिस पर वादीगण ने विक्रयपत्र पंजीबद्ध दिनांक 04.06.1962 के वर्तमान ख.नं. 237 वाके ग्राम खुदनपुरी पर कब्जा वादीगण का है के कारण कीमत कस्टोडियन की अदा कर खातेदारी प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–10/पुनर्वास) विभाग नोटिफिकेशन फा.प.1(15)राज–पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30.03.2012 के द्वारा "सक्षम न्यायालय से स्वामित्व/कब्जे के बारे में निर्णय करवाने के पश्चात् बिन्दु सं. 3 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकेंगे।" प्रतिवादी सं. 1 का देहान्त बिला औलाद के हुआ है उसके अन्य कोई वारिस नहीं है।जिस पर वादीगण ने जानकारी की तो गाँव वालों ने व शहर अलवर के वासियों से यह पता चला कि प्रतिवादी स. 1 का देहान्त हुए भी गत 40 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। प्रतिवादी सं. 1 मृतक व्यक्ति है चूँकि उसका राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाया जाना है इसलिये मृतक व्यक्ति को वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है। जबकि इस नाम का इस वक्त कोई व्यक्ति नहीं है। यह वाद पत्र प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ इस्तकरारहक, दुरुस्ती इन्द्राज, स्वामित्व व कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत है कि वादीगण को विवादित आराजी का काबिज गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 04.06.1962 में साबिक ख.नं. 174 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खुदनपुरी का विक्रय पत्र में अंकन हुआ है को करार दिया जाये कि वो डीड राईटर की गलती से हुआ है जिसे अब साबिक ख.नं. 155 मी. रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पढा जाये तथा समस्त राजस्व रिकॉर्ड रिकॉर्ड में वादी के नाम का इन्द्राज गैर खातेदार के दर्ज किया जाये। यह है कि वादीगण को प्रतिवादी स. 2 के खिलाफ इस वाद पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहिये चूंकि यह वाद पत्र स्वामित्व व कब्जा घोषित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है राजस्थान सरकार विवादित आराजी की लैण्ड होल्डर है इसलिये इस वाद पत्र में लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण को प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ कोई अनुतोष विवादित आराजी के संबंध में नहीं चाहिये इसलिये धारा 80 जा.दी. का नोटिस नहीं दिया गया है।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 निम्न प्रकार से निर्णित एवं डिक्री फरमाया जावे कि डिक्री इस्तकरारहक, दुरुस्ती इन्द्राज, स्वामित्व व कब्जा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 सादिर की जाकर बन्दोबस्त सम्वत् 2051 के हाल ख.नं. 237 रकबा 29 ऐयर साबिक ख.नं. 195 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर (राज.) का गैर खातेदार व कब्जा वादीगण का घोषित किया जाकर समस्त राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं. 1 के नाम को हटाया जाये और उसके स्थान पर वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा, वादी सं. 2 ला. 4 का 1/2 हिस्सा काबिज के नाम का इन्द्राज गैर खातेदार काश्तकार के राजस्वरिकॉर्ड में दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

जावे। यह भी करार दिया जाये कि विक्रय पत्र पंजीबद्ध दिनांक 04.06.1962 में ख.नं. 174 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अंकित हुआ है जो डीड राईटर की गलती से हुआ है जिसे ख.नं. 155 मी. रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर (राज.) पढ़ा जाये।

अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे वो वहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 सादिर फरमाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की जरिये अखबार साया तलबी कराई गई। किन्तु प्रतिवादी अखबार साया तलबी के उपरान्त भी हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी ने अपने वादी की ताईद में श्री शंकर पुत्र स्व.श्री राम सहाय,श्री बेली पुत्र रामकिशन, श्रीकिशन लाल पुत्र सोहन लाल उर्फ सोनूराम, श्री हरफूल पुत्र पूरण, के शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी की बहस सुनी गई।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया। वादी ने अपने वाद मे कथन किया है,कि विवादित आराजी को वादीगण के दादा ग्यासी पुत्र नौपा ने साबिक खसरा नं. 195 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा प्रतिवादी से क्रय की। अर्जी नवीस ने बयनामा लिखते समय खसरा नम्बर 195 के स्थान पर 185 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा का अंकन कर दिया। वकील वादी ने वहस के दौरान कथन किया कि, क्रेतागण को वक्त बयनामा उक्त खसरा नम्बरान की जानकारी नही थी। क्रेतागण बयनामा के पश्चात विवादित आराजी पर काबिज हो गए तथा तत्समय से प्रश्नगत आराजी पर काबिज है जिसकी पुष्टि गवाहन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से साबित होती है। एवं खसरा गिरदावरी संवत 2015–2018 एवं सवंत 2028–2031 में वादीगण के बुजुर्ग ग्यासी पुत्र नोपा की कब्जे काश्त का इन्द्राज है। उसी समय से वादीगण ने प्रश्नगत आराजी का लगान आदि अदा किया है। जिसके संबंध में वादीगण ने लगान की रसीदात की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। जिसमें वादीगण के बुर्जगान के नाम का अंकन है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण को काबिज गैर खातेदार दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम खुदनपुरी में प्रतिवादी नानकचन्द पुत्र घनश्याम जाति खत्री गैर खातेदार के स्थान पर वादीगण के नाम गैर खातेदार का अंकन किया जावे। शेष आराजी पर इन्द्राज यथावत रहेगें। पर्चा डिक्री जारी हों।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

डिक्री व मुकदमा इतबदाई
आ0 2 रू0 6–7 जाब्ता दीवानी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर, (राजस्थान)
बइजलास श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

दावा संख्या
1/244/2013

तारीख दायर
11.09.2013

तारीख निर्णय
10.03.2022

बउनवान

1–रामसहाय पुत्र ग्यासी जाटव(मृतक)
1/1 मन्नीदेवी आयु 70 वर्ष पत्नी स्व० श्री रामसहाय
1/2 शंकरलाल आयु करीब 40 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामसहाय
1/3 प्रेमचन्द आयु करीब 38 वर्ष पुत्र स्व० श्री रामसहाय जाति समस्त जाटव निवासीयान ग्राम खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज0
2–किशनलाल पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनूराम आयु 47 वर्ष जाति जाटव
3–लालचन्द पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनूराम आयु 44 वर्ष जाति जाटव
4– कैलाश चन्द पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनूराम आयु 40 वर्ष जाति जाटव निवासीयान ग्राम खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज0

––वादीगण

बनाम

1–नानक चन्द पुत्र घनश्याम जाति खत्री निवासी खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज0
2–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पर्चा डिक्री

तारीखः– 10.03.2022

वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है आराजी हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम खुदनपुरी में प्रतिवादी नानकचन्द पुत्र घनश्याम जाति खत्री गैर खातेदार के स्थान पर वादीगण के नाम गैर खातेदार का अंकन किया जावे। शेष आराजी पर इन्द्राज यथावत रहेगें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराई जाकर जारी की गई।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर